कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :–जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत महिडाण्डा मोटर मार्ग से बग्यालगांव मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु। **FP/UK/ROAD/20872/2016**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 07–12–2017

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर राज्य सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक– 07–12–2017** के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी, के पत्रांक 2270/12–1 दिनांक 24–01–2018 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	वन भूमि प्रत्यावर्तन किये जाने वाले उक्त प्रस्ताव अन्तर्गत मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि के भूस्वामियों/किसानों द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र पर कुछ भूस्वामियों/ किसानों की अनापत्ति/हस्ताक्षर है, जबकि कुछ के नही है, कृपया सभी की अनापत्ति/हस्ताक्षर अपेक्षित है। उक्त अनापत्ति/हस्ताक्षर सम्बन्धित प्रारूप पर उपलब्ध करायें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित समस्त भूस्वामियों/ किसानों के अनापत्ति–अनापत्ति/हस्ताक्षर सम्बन्धित प्रारूप पर करवा कर अपलोड कर दिये गये है,
2	आनलाईन फार्म –ए, पार्ट ।(1) (एक्स) 30 वर्ष के लिए भूमि हस्तान्तरण प्रयोजन का उल्लेख है। वही शासन को सम्बोधित नोड़ल अधिकारी के पत्र में मात्र वन भूमि प्रत्यावेदन किये जाने का उल्लेख किया गया है। यदि मामला वन भूमि प्रत्यावर्तन का है, तो इसमें 30 वर्ष का उल्लेख क्यों किया गया है, स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा आनलाईन फार्म–ए, पार्ट – । (1) (x) 30 वर्ष के लिए भूमि हस्तान्तरण प्रयोजन का उल्लेख भूलवश कर दिया गया था, जिसे अब हटाकर मात्र वन भूमि प्रत्यावर्तन किये जाने का उल्लेख कर दिया गया है।
3	आनलाईन पार्ट –। (2) –4(2) में बांज के वृक्षों का उल्लेख किया गया है, किन्तु वृक्षों की सूची प्रपत्र में उक्त वृक्षों का उल्लेख नहीं है, व बांज वृक्षों का पातन हेतु प्रस्तुत प्रमाण पत्र शून्य बांज वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। उक्त सूचनाएं परस्पर भिन्नता दर्शाती है, कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	4(2) में उल्लेखित, "Silver oak" बाँज की प्रजाती नही है, वह एक शोभादार वृक्ष की प्रजाती है।
4	प्रस्ताव की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्ताव की हार्ड कॉपी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी